

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर  
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 98 / 2023 (RCMS : 2023/159)

1. पूर्ण सिंह पुत्र मखन सिंह जाति लबाना सिख निवासी मोहलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. नानक सिंह पुत्र मखन सिंह जाति लबाना सिख निवासी मोहलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. हरफूल सिंह पुत्र मखन सिंह जाति लबाना सिख निवासी मोहलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. सतनाम सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 1 आर ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. अमृतपाल सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 1 आर ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. वीना पत्नी हरनेक सिंह निवासी गुरुनानक बस्ती, संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. बगी बाई पुत्री मखन सिंह पत्नी पुनु सिंह निवासी नानक बस्ती संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. मीनी बाई पुत्री मखन सिंह पत्नी हाकम सिंह निवासी भाम्भू कॉलोनी, श्रीगंगानगर
6. भवानी बाई पुत्री मखन सिंह पत्नी हाकम सिंह निवासी भाम्भू कॉलोनी, श्रीगंगानगर
7. रानी बाई पुत्री चरण सिंह निवासी गुरुनानक बस्ती, संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. सतनाम कौर पुत्री मखन सिंह जाति लबाना सिख निवासी मोहलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
9. अजीत सिंह पुत्र अमरत कौर जाति लबाना सिख निवासी मोहलां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
10. फुली बाई पुत्री अमरत कौर जाति लबाना सिख निवासी मोहलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
11. नीना पुत्री अमरत कौर पुत्री मखन सिंह जाति लबाना सिख निवासी मोहलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
12. सरजीत सिंह पुत्र अमरत कौर पुत्री मखन सिंह जाति लबाना सिख निवासी मोहलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर



जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर



13. सन्दीप सिंह पुत्र अमरत कौर पुत्री मक्खन सिंह जाति लबाना सिख निवासी  
मोहलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
14. उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर

05.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बत्तरा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण अनवानी सतनाम सिंह बनाम नानक सिंह अन्तर्गत धारा 88, 188, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के स्थानान्तरण होने के कारण उनका मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी सतनाम सिंह बनाम नानक सिंह अन्तर्गत धारा 88, 188, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)

जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर